भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1207
उत्तर देने की तारीख 27 जुलाई, 2026
5 श्रावण, 1948 (शक)

खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता

1207. श्री थरानिवेंथन एम. एस. :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खिलाड़ियों को दी गई वित्तीय सहायता का तमिलनाडु के आरणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्यवार/ संघ राज्यक्षेत्र वार और खेलवार ब्यौरा क्या है, साथ ही लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को विशेष कोचिंग, खेल विज्ञान सहायता, पोषण संबंधी सहायता, भौतिक-चिकित्सा और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बेहतरीन खिलाड़ियों के विकास के लिए स्थापित या उपयोग किए गए प्रशिक्षण शिविरों, कोचों, सहायता कर्मचारियों और उच्च प्रदर्शन केंद्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने खिलाड़ियों, विशेषकर ग्रामीण, जनजातीय, आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय और संस्थागत सहायता की पर्याप्तता का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) 'खेल' एक राज्य का विषय होने के कारण, खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित खेलों के संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों अर्थात् (i) खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता (एएनएसएफ); (iii) टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस); (iv) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ); (v) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के पदक विजेताओं और उनके कोच को नकद प्रोत्साहन स्कीम; (vi) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (vii) मेधावी खिलाड़ियों के लिए पेंशन हेतु खेल निधि; (viii) खिलाड़ियों हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम; और (ix) भारतीय खेल

प्राधिकरण (साई) के माध्यम से कार्यान्वित खेल प्रोत्साहन स्कीमों के ज़रिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है।

साई की खेल प्रोत्साहन स्कीमों अर्थात् राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई), साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी), एसटीसी के विस्तार केंद्र और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) के तहत चयनित खिलाड़ियों को अनुमोदित स्कीम मानदंडों के अनुसार वैज्ञानिक प्रशिक्षण, गुणवत्ता कोचिंग, खेल विज्ञान सहायता, आवास और भोजन, खेल उपकरण, प्रतियोगिता एक्सपोजर और अन्य संबद्ध सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। टीओपीएस के तहत भी शीर्ष एथलीटों और पैरा-एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे एथलीटों को राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता (एएनएसएफ) के माध्यम से व्यापक सहायता प्रदान करती है।

इसके अलावा, खेलो इंडिया स्कीम के तहत, प्रत्येक खेलो इंडिया एथलीट को प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है, जिसमें कोचिंग, खेल विज्ञान सहायता, किटिंग, आवास और भोजन, बीमा और शैक्षिक सहायता का व्यय शामिल है।

खेल विभाग की स्कीमों से संबंधित स्कीम-वार, वर्ष-वार व्यय रिपोर्ट https://yas.gov.in/en/sports/financial-reports पर उपलब्ध है।

(ख) जी, हां, सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी कर रहे एथलीटों को साई खेल प्रोत्साहन स्कीमों, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता (एएनएसएफ) और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के माध्यम से विशेष कोचिंग, खेल विज्ञान सहायता, पोषण सहायता, फिजियोथेरेपी और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है।

राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर) देश में साक्ष्य-आधारित खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है। एनसीएसएसआर एकीकृत खेल विज्ञान समर्थन, खेल विज्ञान अनुसंधान, वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार और खेल आघात के पुनर्वास के माध्यम से एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार हेतु गतिविधियां चलाता है। वर्तमान में परीक्षण सेवाओं के प्रत्यायन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियां और खेल संपूरक पदार्थों का परीक्षण और प्रमाणन कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में हैं।

इसके अलावा, व्यायाम फिजियोलॉजिस्ट, खेल बायोमेकेनिस्ट, खेल मनोवैज्ञानिक, खेल पोषण विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, क्षमता और कंडीशनिंग विशेषज्ञ और खेल चिकित्सा विशेषज्ञों के

माध्यम से एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिए साई के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) और क्षेत्रीय केंद्रों में खेल विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। एथलीटों का नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन और निगरानी की जाती है, उन्हें व्यक्तिगत पोषण और रिकवरी सहायता, फिजियोथेरेपी, पुनर्वास और खेल चिकित्सा सेवाएं मिलती हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के तहत कवर किए गए शीर्ष एथलीटों को देश के भीतर और विदेशों में भी उन्नत खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।

इन पहलों का उद्देश्य भारतीय एथलीटों के खेल प्रदर्शन में सुधार लाना, चोट लगने से बचाना, रिकवरी को अनुकूलित करना और उनकी तैयारी को बेहतर बनाना तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाना है।

उपरोक्त के अलावा, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केन्द्रों (केआईएससीई) पहल के माध्यम से विशेष रूप से उपकरण (खेल और खेल विज्ञान) और उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति से संबंधित राज्य द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं की महत्वपूर्ण कमियों को दूर किया जाता है।

(ग) साई द्वारा देश भर में शीर्ष और विकासरत खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उच्च प्रदर्शन केंद्र के रूप में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। ये केंद्र विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना, वैज्ञानिक एथलीट निगरानी, व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेल विज्ञान सहायता, रिकवरी और पुनर्वास सुविधाएँ, आवास और भोजन तथा प्रतियोगिता एक्सपोजर प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता (एएनएसएफ) स्कीम के तहत संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के परामर्श से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। पिछले 5 वर्ष के दौरान 650 से अधिक राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित किए गए हैं।

(घ) विभिन्न स्कीमों के तहत मानदंडों और वित्तीय सहायता को समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खिलाड़ियों को कोचिंग, आवास और भोजन, उपकरण, खेल विज्ञान सेवाओं, प्रतियोगिता एक्सपोजर, शिक्षा और अन्य प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सहायता प्राप्त हो। यह विभाग अपनी सभी मौजूदा स्कीमों का तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन कराता है और इसकी रिपोर्ट https://yas.gov.in/en/sports/third-party-evaluation-study-report पर उपलब्ध है।

ग्रामीण, जनजातीय, आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि वाले एथलीटों सहित समाज के सभी वर्गों के एथलीटों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तार और उन्नयन, खेल विज्ञान और चिकित्सा सहायता में वृद्धि, योग्य प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति और गुणवत्तापूर्ण खेल अवसंरचना तक बेहतर

पहुंच के माध्यम से संस्थागत ढांचे को भी समय-समय पर सदृढ़ किया जाता है।

सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि उसकी स्कीमों के तहत एथलीटों का चयन पारदर्शी और योग्यता-आधारित मानदंडों पर हो, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अवसर मिल सके।
